<u>महत्वपूर्ण / निर्वाचन तत्काल</u>

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 5110 अशोकनगर, दिनांक 8 / 11 / 2018

–: निविदा सूचना :–

विधानसभा निर्वाचन 2018 संपन्न कराये जाने हेतु मतदाताओं को मतदाता मार्गदर्शिका छपाई हेतु दिनांक 14.11.2018 दिन बुधवार को समय 02:30 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदाकार को धरोहर राशि रूपये 10,000/– का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। जिले की बेवसाईट (http://www.ashoknagar.mp.gov.in/) पर देखी जा सकती है।

निविदा शर्तों की मतदाता मार्गदर्शिका का प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें निविदाकारों के समक्ष दिनांक 14.11.2018 अपरान्ह 04:00 बजे खोली जायेगी।

(डॉ.मंजू शर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 5111 अशोकनगर, दिनांक 8 / 11 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उक्त निविदा सूचना दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु सादर प्रेषित।
4. कलेक्टर .... (समस्त) की ओर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकीर जिला पंचायत अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अशोकनगर, ईसागढ, चंदेरी, मुंगावली की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. जनसंपर्क, अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर उक्त निविदा सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुक्ल प्रकाशित कराने हेतु।
8. तहसीलदार अशोकनगर, शाढौरा, चंदेरी, ईसागढ, नईसराय, मुंगावली, पिपरई की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

–: निविदा शर्ते :–

1. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर को संबोधित हो।
2. निविदा दो लिफाफा पद्धति द्वारा प्राप्त की जावेगी, प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र में समस्त जानकारियां मय स्वप्रमाणित अभिलेखो/प्रतिभूति राशि 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला विदिशा के नाम से प्लेज हो। निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा, नगद राशि जमा नहीं की जावेगी। द्वितीय लिफाफा दरों से संबंधित होगा, जिसमें केवल दरों का विवरण होगा। प्रथम लिफाफा के सत्यापन के उपरांत द्वितीय लिफाफा खोला जावेगा। कार्यालय द्वारा प्रदाय निविदा फार्म ही मान्य होगा।
3. निविदाकार को निविदा स्वीकृति की सूचना कार्यालय द्वारा दी जावेगी एवं अस्वीकृत निविदार की सूचना नहीं दी जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने उपरांत सामग्री प्रदाय करने का आदेश मिलने अथवा तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप चाही, गई समस्त छपाई सामग्री नियत स्थल एवं समय पर स्वयं के व्यय पर पहुंचाना होगा।
5. यदि निविदाकार छपाई सामग्री समय पर प्रदाय नहीं कर सका तो सामग्री बाजार से छपाई जावेगी, इसमें स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान सामग्री लाने–लेजाने में हुये व्यय की राशि सफल निविदाकार से उसकी अमानत राशि में से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति बसूल की जावेगी।
6. शासन द्वारा निर्धारित TDS का कटोत्रा किया जायेगा। निविदाकार को निविदा के साथ पेन नंबर एवं GST नंबर की फोटो प्रतियां निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगी।
7. निविदाकार स्थापना की पंजीयन की प्रति भी प्रथम लिफाफे में प्रस्तुत करें।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण निरस्त अथवा अमान्य करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर को होगा। निविदा निरस्ती की सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)